9/संख्या-384/सं0वि0क0नि0अनु-7-2015/700(223)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय- **निबंधन के पूर्व ई-स्टाम्प पत्र में आंशिक स्टाम्प की धनराशि को वापस किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में यह आया है कि यदि ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रश्नगत विलेख में उससे कम धनराशि के स्टाम्प की आवश्यकता होती है तो पूरे स्टाम्प पत्र को निरस्त कर 10 प्रतिशत कटौती के साथ उसकी धनराशि वापस करने तथा वांछित धनराशि के नये ई-स्टाम्प पत्र जारी करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

2. उदाहणार्थ, यदि पक्षकार द्वारा किसी विलेख के निष्पादन के लिए रूपये 10 लाख के मूल्य का ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र क्रय किया जाता है, किन्तु बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि इस विलेख में रूपये 08 लाख का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा, तो रूपये 10 लाख के स्टाम्प पत्र को निरस्त कर 10 प्रतिशत (अर्थात रूपये 01 लाख) की कटौती करते हुए उसकी धनराशि वापस की जाती है, तथा उससे रूपये 08 लाख के नये ई-स्टाम्प क्रय करने की अपेक्षा की जाती है।

3. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 53 में निम्न प्राविधान किया गया है:-

"53. बिगड़े या दुरूपयोग हुये स्टाम्पों के लिये, छूट कैसे दी जाये-जब किसी मामले में बिगड़े या दुरूपयोग हुये स्टाम्पों के लिये छूट दी जानी हो, तो कलेक्टर उनके बदले-

(क) उसी प्रकार और मूल्य के अन्य स्टाम्प, या

(ख) यदि माँगा जाय और वह उचित समझे तो उसी मूल्य की राशि के अन्य प्रकार के स्टाम्प, या

(ग) अपने विवेकानुसार, उसी मूल्य के बराबर धन, प्रत्येक रूपये या रूपये के भाग पर दस पैसा काटकर, दे देवें।"

4. प्रस्तर-2 के उदाहरण के अनुरूप पक्षकार द्वारा 10 लाख रूपये के मुद्रित स्टाम्प पत्रों में से 08 लाख रूपये के स्टाम्प पत्रों के प्रश्नगत विलेख के निष्पादन के लिए प्रयोग

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जा सकता है तथा 02 लाख रूपये के स्टाम्प पत्र को वापस कराया जा सकता है, जिसमें उसके 02 लाख रूपये के स्टाम्प पर 10 प्रतिशत कटौती अर्थात रूपये 20 हजार काटकर उक्त स्टाम्प निरस्त किया जा सकता है।

5. इस प्रकार ई-स्टाम्प पत्र में समरूप प्रकरण में उसे समस्त धनराशि का स्टाम्प निरस्त कराये जाने की अपेक्षा के कारण अधिक धनराशि की कटौती का भार वहन करना होता है। सामान्य स्टाम्प-पत्र के सापेक्ष ई-स्टाम्प पत्र में इन कठिनाईयों के कारण भी इसके प्रयोग के प्रति जन-सामान्य का रूझान कम होना विभिन्न स्रोतों एवं स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन लि0 द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है।

6. उपरोक्त स्थिति के समाधान के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा ई-स्टाम्प पत्र क्रय किये जाने के उपरान्त कम धनराशि के स्टाम्प की आवश्यकता होने पर संबंधित क्रेता के द्वारा आवेदन किये जाने पर स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संग्रह केन्द्र द्वारा उसे पूर्व में निर्गत ई-स्टाम्प पत्र को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर एक वांछित कम धनराशि का ई-स्टाम्प पत्र एवं एक अन्य अन्तर की धनराशि का ई-स्टाम्प पत्र निर्गत किया जाय। पक्षकार द्वारा अन्तर की धनराशि के ई-स्टाम्प पत्र को अन्य विलेख में नियमानुसार अनुमन्य होने पर प्रयोग किया जा सकता है, अथवा उसकी आवश्यकता न होने पर उसे निरस्त कराकर नियमानुसार कटौती के साथ अवशेष धनराशि वापस प्राप्त किया जा सकता है।

7. कृपया स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेश्न के अधिकारियों से समन्वय कर उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन एवं पोर्टल पर उसके समुचित एवं स्पष्ट रिपोर्ट प्रदर्शन की कार्यवाही एक पक्ष में सुनिश्चित कर ली जाए, तथा इस कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निबन्धक, निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश ।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था एक पक्ष में सुनिश्चित करा कर शासन को अवगत कराया जाए।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in